उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 4639/77–4–23–32 रिट/21
लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2023

गौरव गोयल पुत्र श्री गोपाल चन्द्र अग्रवाल, निवासी–बी–322, सेक्टर–बी महानगर, लखनऊ

बनाम

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मैनेजिंग डायरेक्टर, यू0पी0सीडा, कानपुर।
2. रीजनल मैनेजर, रीजन आफिस, यू0पी0सीडा, एच.आई.जी.–66, सेक्टर–ई, अलीगंज, लखनऊ।

यू0पी0सीडा द्वारा भूखण्ड संख्या–सी–1 औद्योगिक विकास क्षेत्र कुर्सी रोड, बाराबंकी श्री वैभव गोयल को दिनांक 15.02.2003 को एक सितारा होटल की स्थापना के लिए आंबटित की गई थी । उपरोक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल–2524.77 वर्गमीटर है। आबंटी द्वारा भूखण्ड दिनांक 21.07.2009 को क्रय किया गया था आबंटी को पट्टे की शर्तों के अनुसार डीड निष्पादन 6 माह के अन्दर निर्माण प्रारम्भ करते हुये 09 माह के अन्दर क्रियाशील किया जाना था। परन्तु एक सितारा होटल आज की तिथि तक लगभग 10 वर्षो के उपरान्त भी क्रियाशील नहीं किया जा सका है। प्राधिकरण द्वारा आबंटी को दिनांक 18.04.2017 को नोटिस निर्गत किया गया । आबंटी के ऊपर कुल–28.92 लाख की धनराशि वर्ष–2019 तक बकाया के रूप में आकलित की गई। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आबंटी के पक्ष में किया गया आबंटन दिनांक 07–09–2019 के आदेश से निरस्त करते हुये प्राधिकरण द्वारा कब्जा ले लिया गया है।

2. आबंटी द्वारा कालान्तर में उपरोक्त भूखण्ड पर एक सितारा होटल के स्थान पर इण्टरलाकिंग टाइल्स की परियोजना हेतु दिनांक 17.07.2017 को मांग की गई, जिसे प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया गया । आबंटी द्वारा प्राधिकरण के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 07.09.2019 के विरूद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन, बाराबंकी में वाद संख्या–287/2019 दाखिल किया गया जिसमें मा0 न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2020 द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आबंटी द्वारा पिछले 10 वर्षो में जिस परियोजना के लिए भूमि आबंटित करायी गई थी उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है । अतः प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आबंटन निरस्तीकरण आदेश उचित है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में लम्बित वाद के सापेक्ष प्रभावी पैरवी करते हुये स्थगन आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए । आबंटी द्वारा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट–1973 की

धारा–41(3) सहपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 की धारा–12 के अन्तर्गत दायर किया गया रिवीजन याचिका को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या 4639(1)/77–4–23, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सीडा, कानपुर।
2. श्री वैभव गोयल पुत्र श्री गोपाल चन्द्र अग्रवाल, बी–322 सेक्टर–बी, महानगर, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनुसचिव